विलोपित विलोपित विलोपित

न्यायालय मान.राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर

127

प्र.क. –निगरानी/टीकमगढ़/2018/
निगरानी–3482/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

नाथूराम पुत्र लाल्ले कुम्हार
निवासी टीकमगढ़ तहसील व
जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश ----आवेदक

G.P. Nayak Adv.
आज दि. 5.6.18 को प्रारंभिक तर्क हेतु दि. 14.6.18 नियत।

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा
कलेक्टर जिला टीकमगढ़ ---अनावेदक

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

(अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 337/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 14–5–2018 के विरूद्ध निगरानी – अंतर्गत धारा 50 – म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 के अंतर्गत)

महोदय,

निगरानी के संक्षिप्त कारण

4.6.18
G.P. Nayak Adv.

यह कि ग्राम टीकमगढ़ कलॉ की भूमि सर्वे कमांक 1179 रकवा 0.234 है. तथा सर्वे कमांक 1180 रकबा 1–234 हैक्टर खसरा वर्ष 19770–71 लगायत 19778–79 तक आवेदक के पिता लाल्ये पुत्र अमान कुम्हार के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। वर्ष 1979–80 के वाद निर्मित खसरों मे हलका पटवारी ने बिना राजस्व अधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी के आदेश के खसरा नंबर 1180 में रकबा 0.405 हैक्टर में **देखो नं. 1179** शब्द तथा शेष रकबा 0.829 है. **नजूल** लिख दिया।

उक्त प्रविष्टि बिना सक्षम आदेश के कर दिये जाने के तथ्य का पता चलते ही म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 113 के अंतर्गत त्रृटि सुधार का आवेदन अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ को दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील रिकार्ड से मूल अभिलेख मॅगाये बिना एंव सत्यापन किये बिना आदेश दिनांक 19–9–16 पारित करके शासन की सहमति न होने के आधार पर प्रकरण निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर बल्देवगढ़ के समक्ष अपील कमांक 66/16–17 प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने आदेश दिनांक 20–11–17 से अपील निरस्त

(86) R 3482/2018/ टीकमगढ़/ मू. श्री
नाथूराम वि. शासन

9/1/19 - आवेदक नाथूराम के अधि. श्री जी.पी. नायक के आवेदन दिनांक 8/1/19 पर प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अधि. श्री नायक एवं शासकीय अधि. श्री त्रिवेदी के आवेदन के तर्क सुने गये।

- प्रकरण आदेश हेतु।

(हस्ताक्षर)
9.1.19

09.1.19 → प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अधि. श्री जी.पी. नायक को सुना गया।

→ प्रकरण में वर्णित भूमि के शासकीय वर्णित होने के सम्बन्ध में दोनों अपीलीय न्यायालयों की समवर्ती (Concurrent findings) हैं। आवेदक

→ ~~क्र.~~ अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा Appeals निरस्त की हैं। आवेदक के शीघ्र सुनवाई के आवेदन से प्रतीत होता है कि वह स्वयं अतिक्रामक है।

→ उपरोक्त के अनुक्रम में निगरानी आवेदन अग्राह्य किया जाता है। प्रकरण समाप्त हो।

(हस्ताक्षर)
9.1.19